E Mail

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक–जीओ–32/डीआरडीए (प्रशा0)/— /लेखा पेंशन/2010 दिनांकः 5 अगस्त 2010

विषय– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा0–328/अड़तीस–2–2010–2(82)डी/2009, दिनांक 16–7–2010 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डी0आर0डी0ए0 (प्रशा0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान संख्या–13 में प्रावधानित धनराशि रू0 19,52,31,000/– (रूपये उन्नीस करोड़ बावन लाख इकतीस हजार मात्र) की अवशेष धनराशि रू0 14,64,31,000/–में से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 3,59,00,000/– (रूपये तीन करोड़ उनसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है । शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है:–

1– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी0–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 के प्रस्तर–2(11) के अनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त आहरण न किया जाय तथा धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा एवं उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26–3–2010 में दिये गये अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

2– उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा ।

3– योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा । धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशा0) योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिए संबंधित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे । यदि कभी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जायेगी ।

4– आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मांग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को आवंटित की जायेगी। धनराशि का आवंटन भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जाये ।

5– केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके ।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

6– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–09–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के0–75/रा0–25–रा0)–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा ।

7– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर – आयोजनागत के पृष्ठ संख्या–178 पर कर ली गयी है ।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–8) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0 ।

पत्रांक–जी0ओ0–32/डीआरडीए(प्रशा0)/बजट/लेखा पेंशन/2010 – तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
4– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–2/3, उ0प्र0 शासन ।
5– संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
7– नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन ।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
9– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0 ।
10– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
11– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
12– गार्ड फाइल हेतु ।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0 ।

Annexure of Letter no. पी·ओ 32/ डी·आर·डी ए०(प्रशा०) –लेखा/ पेशन/2010 दि० 5 अगस्त 2010

DRDA Administration

(Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
1	AGRA	2.41	12.76
2	ALIGARH	4.76	12.76
3	ALLAHABAD	5.56	13.15
4	AMBEDKAR NAGAR	7.84	11.18
5	AURRIYA	6.19	11.18
6	AZAMGARH	2.66	13.15
7	BADAUN	7.08	13.15
8	BAGPAT	7.84	11.18
9	BAHRAICH	6.00	12.76
10	BALIA	5.29	13.15
11	BALRAMPUR	7.30	11.18
12	BANDA	2.72	11.18
13	BARABANKI	3.82	12.76
14	BAREILLY	4.96	12.76
15	BASTI	5.91	12.76
16	Sant R nagar (Bhadohi)	7.39	11.18
17	BIJNOUR	5.02	12.76
18	BULANDSHAHAR	5.47	13.15
19	CHANDOULI	7.84	11.18
20	Chitrakut	5.94	9.03
21	DEORIA	6.81	13.15
22	ETAH	3.83	11.18
23	ETAWAH	5.22	11.18
24	FAIZABAD	4.88	12.76
25	FARRUKHABAD	4.91	11.18
26	FATEHPUR	5.33	12.76
27	FIROZABAD	4.22	11.18
28	GAUTAM BUDH NAGAR	6.25	9.03
29	GHAZIABAD	5.26	11.18
30	GAZIPUR	5.68	13.15
31	GONDA	4.00	13.15
32	GORAKHPUR	5.49	13.15
33	HARDOI	8.32	13.15
34	MAHAMAYA NAGAR	7.84	11.18
35	J.R. PHULE NAGAR	7.14	11.18
36	JAUNPUR	3.49	13.15
37	JHANSI	4.77	11.18

DRDA Administration

(Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
38	KANNAUJ	7.84	11.18
39	KANPUR DEHAT	2.32	11.18
40	KANPUR NAGAR	2.07	11.18
41	KANSHI RAM NAGAR	7.48	11.18
42	KAUSHAMBI	7.84	11.18
43	KHERI	3.12	12.76
44	PADRAUNA (Kushi Nagar)	6.34	12.77
45	LALITPUR	3.80	11.19
46	LUCKNOW	2.66	11.19
47	MAHARAJGANJ	8.00	12.77
48	MAHOBA	5.97	9.04
49	MAINPURI	2.19	11.19
50	MATHURA	3.48	11.19
51	MAUNTAH BHANJAN	4.11	11.19
52	MEERUT	4.30	12.77
53	MIRZAPUR	4.02	12.77
54	MORADABAD	5.24	12.77
55	MUZAFFARNAGAR	2.33	12.77
56	JALAUN	0.85	11.19
57	PILIBHIT	4.88	11.19
58	PRATAPGARH	5.81	13.16
59	RAI BARELI	6.21	13.16
60	RAMPUR	4.32	11.19
61	HAMIRPUR	4.56	11.19
62	SAHARANPUR	2.85	12.77
63	SANT KABIR NGR	7.85	11.19
64	SHAHJAHANPUR	4.52	12.77
65	SIDHARTH NAGAR	3.65	12.77
66	SITAPUR	2.63	13.16
67	SHRAVASTI	6.34	9.04
68	SULTANPUR	4.96	13.16
69	SONBHADRA	3.85	11.19
70	UNNAO	4.12	13.16
71	VARANASI	3.05	11.19
	TOTAL	359.00	847.00

(Rupees Three Crore Fifty Nine lakh Only)

(Mahesh Kumar Agnihotri)
Additional Commisioner (Accounts)
Rural Development

9.0 37/लेखा/पेंशन/2010
30-7-10

संख्या-डी-328 /अड़तीस-2-10-2(82)डी/2010

प्रेषक,

गिरजा शंकर त्रिवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2010

विषयः- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-446/लेखा-पेंशन/2010-11, दिनांक 23-6-2010 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-डी-410/38-2-10-2(82)डी/09, दिनांक 27-4-2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 19,52,31,000/-की अवशेष धनराशि रू0 14,64,31,000/- में से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 3,59,00,000/-(रूपये तीन करोड़ उनसठ लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 27-4-2010 में धनराशि के आहरण तथा उसके व्यय आदि के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यकम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यकम-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-09-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के-75 /रा-25-रा)-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान" के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0-ई-2-441/दस-10, दिनांक 14-7-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

CAO

भवदीय,

/

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।

P-1GO

संख्या-1328(1)/अड़तीस-2-2010, तद्‌दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/(व्यय नियंत्रण) अनु-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु-3
(6) ग्राम्य विकास अनु0-3
(7) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
16/7
(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।